प्रेस नोट ***दिनांक 23.06.2026***

01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01 अदद तंमचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरादम-

पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण एंव क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में कानून एंव शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु थाना घोसी पुलिस द्वारा दिनांक 23.07.2026 को रात्रिगस्त के दौरान ग्राम डाड़ी चट्टी पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध पाये जाने पर अभियुक्त विकेस उर्फ विकास कुमार पुत्र लक्ष्मण निषाद निवासी पीवाताल थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 22 वर्ष की तलाशी से एक अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ अभियुक्त को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-310/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को चा0 माननीय न्यायालय

अभि0 का नाम पता-

1. विकेस उर्फ विकास कुमार पुत्र लक्ष्मण निषाद निवासी पीवाताल थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. .मु0अ0सं0-310/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना घोसी जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0-259/2023 धारा 294/323/304/34 भा0द0वि0 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण—

1. एक अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

01 चोरी का अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01 चोरी का मोबाइल बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन मे अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर अल्लाउद्दीनपुर जाने वाले मार्ग पर अबुल बसर के ट्यूबेल के पास से मु०अ०सं० 0244/2026, धारा 305, 317(2) बीएनएस से संबंधित प्रकाश में आए अभियुक्त को गिरफ्तार मा0 न्यायालय चालान किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. आनंद प्रसाद पुत्र स्व० रतन प्रसाद निवासी – ग्राम खुशामदपुर, थाना मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ

बरामदगी का विवरण-

1. विवो कंपनी का फिरोजी रंग का एक चोरी का मोबाइल फोन,

थाना घोसी पुलिस द्वार 03 पीडितों की साइबर पुलिस टीम द्वारा, फ्रॉड हुए कुल धनराशि 621040 -/(छः लाख इक्कीस हजार चालिस रुपये) रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी घोसी व प्रभारी निरीक्षक घोसी के कुशल नेतृत्व में थाने पर नियुक्त साइबर पुलिस टीम द्वारा 02 पीड़ितों, 1. अकित पटवा पुत्र अनिल कुमार निवासी अमिला थाना घोसी की कुल धनराशि 4,13140/- रुपये , 2.मो0 शोहराब पुत्र स्व0 शौकत अली निवासी करीमुद्दीनपुर थाना घोसी की कुल धनराशि 200000/- रुपये, 3. आर्यन कुमार गौड़ पुत्र स्व0 नागेन्द्र गौड़ निवासी मदापुर समसपुर थाना घोसी जनपद मऊ की कुल धनराशि 7900/- रुपये अंजान व्यकित द्वारा फ्राड कर ली गयी थी जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी। उक्त शिकायत के आधार पर थाना घोसी में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 621040 /- रुपये वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 23.07.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 32 टीम गठित कर जनपद के 40 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1250 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 461 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 02 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

प्रेस नोट

23/07/2026

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण –

1. थाना रामपुर पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तगण 1. रामसोच पुत्र स्व0 सिंघासन, 2. विकास पुत्र रामसोच,3. सुमित्र पुत्नी लक्ष्मण निवासीगण मोहिउद्दीनपुर थाना रामपुर जनपद मऊ
2. थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त अवधेश यादव पुत्र स्व सुखराम यादव निवासी शेखवालिया थाना मुहम्मदाबाद को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया